निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड
74 / 1 जी०एम०वी०एन० भवन, प्रथम तल, राजपुर रोड, देहरादून।

फोन +91- 9412056561 www.esisuk.in Email: diresidehradun@gmail.com

संख्याः-पत्रा०-342(C)/कराबीयो/यूटीआई/2024-25/(861) दिनांक :24/8/ 2024

कार्यालय-आदेश

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आच्छादित बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को द्वितीयक स्तरीय चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से नगद रहित योजना के तहत निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबन्धित किया गया है।

निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के पत्र संख्या:पत्रा०342/कराबीयो/यू.टी.आई./2024-25/7475 दिनांक 14 अगस्त 2024 के द्वारा समस्त अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानो/पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी संस्थानों से अग्निशमन की एन.ओ.सी. मागी गयी थी, जिसके क्रम में निम्न अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानो/पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी संस्थानों के द्वारा अग्निशमन की एन.ओ.सी. इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.स	निजी चिकित्सा संस्थानों का नाम व पता
1	आनन्द हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, सितारगंज रोड़, खटीमा (उधमसिंह नगर)।
2	कृष्ण हॉस्पिटल एवं क्रिटिकल केयर सेन्टर, प्रा०लि०, डी.1, डी.2, डॉक्टर कॉलोनी, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)।
3	प्रेम हॉस्पिटल सुपर स्पेश्लिटी एवं ट्रामा सेन्टर, खन्ना नगर, हरिद्वार।
4	सहोता सुपर स्पेश्लिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरोट्रामा सेन्टर, मुरादाबादद रोड़, काशीपुर, (उधमसिंह नगर)।
5	शर्मा इमेजिंग, सैनी आश्रम के सामने, हरिद्वार।
6	महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, अग्रसेन नगर, किच्छा रोड़ रूद्रपर (उधमसिंह नगर)।
7	स्पर्श हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, सितारगंज रोड़, खटीमा।
8	स्पर्श मल्टीस्पेश्लिटी हॉस्पिटल, निकट ढेला पुल, काशीपुर (उधमसिंह नगर)।

उपरोक्त निजी चिकित्सा संस्थानों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त चिकित्सा संस्थानों को तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर आदेशों तक निलंबित किया जाता है। साथ ही उक्त चिकित्सा संस्थानों को निदेर्शित किया जाता है कि एक माह के अन्दर अग्निशमन की एन.ओ.सी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके चिकित्सा संस्थान को योजना से **De-empanelled** कर दिया जायेगा।

सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों में पूर्व से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे भर्ती मरीजों का उपचार यथावत जारी रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(दीप्ति सिंह)
निदेशक

(दीप्ति सिंह)
निदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
उत्तराखण्ड

7763-71

<u>पृष्ठांकन संख्याः पत्रा०-342(C)/कराबीयो/2024-25/ तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून।
3. निदेशक, अटल आयुष्मान भारत, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी/फार्मेसी अधि०/मुख्य फार्मा०/फार्मासिस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, कुमायू एवं गढ़वाल सम्भाग को इस आश्य के साथ प्रेषित की उक्त चिकित्सा संस्थानों की सूची सूचना पट पर लगाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य फार्मासिस्ट, निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा संस्थान, देहरादून।
7. प्रबन्धक, यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल. को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त चिकित्सा संस्थान का पोर्टल पर मरीजो को भर्ती करने के आप्शन को अस्थाई रूप से बन्द करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अनुबन्धित चिकित्सा संस्थान को सूचनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

(दीप्ति सिंह)
निदेशक

(दीप्ति सिंह)
निदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
उत्तराखण्ड